

## भाग-II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

|        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7      | परियोजना/स्कीम का स्थान                                                                                                                                                                                             | मैनपुरी के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, अलीगढ़ द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 91 अलीगढ़ से कानपुर के किमी० 229.00 से 289.00 (कल्याणपुर से नवीगंज) तक मार्ग का चार लेन चौड़ीकरण के निर्माण में प्रभावित होने वाले 97.896 हे० संरक्षित वन का गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 11377 वृक्षों के पातन की अनुमति |
| (i)    | राज्य/संघ शासित क्षेत्र                                                                                                                                                                                             | उ०प्र०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (ii)   | जिला                                                                                                                                                                                                                | मैनपुरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (iii)  | वन प्रभाग                                                                                                                                                                                                           | सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (iv)   | वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे० में)                                                                                                                                                       | 97.896 हे०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (v)    | वन की कानूनी स्थिति                                                                                                                                                                                                 | संरक्षित वन भूमि                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (vi)   | प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ०आर०एल-4 मीटर भी संलग्न किये जायें।                                                       | संलग्न है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (vii)  | हरियाली का घनत्व                                                                                                                                                                                                    | 0.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (viii) | भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी                                                                                                                                                       | समतल भूमि होने के कारण नगण्य है।                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (ix)   | वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित क्षेत्र की वन सीमा                                                                                                                                                                 | संरक्षित वनभूमि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (x)    | क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव, अभ्यारण्य, जैवमण्डल, रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है। (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्योरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबंधित की जायें)                    | नहीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (xi)   | क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजगत की दुर्लभ/संकटापन/विशिष्ट प्रजातियाँ पायी जाती हैं यदि हाँ/तो तत्सम्बन्धित ब्योरा दे।                                                                                         | नहीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (xii)  | क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारस्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्योरा सक्षम प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें। | नहीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (8)    | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम-2 से प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जाँचे गये विकल्प के ब्योरों के साथ मदवार संस्तुति क्षेत्र क्या है।                       | हाँ, अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|       |                                                                                                                                                                                                |                                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| (9)   | क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया है (हॉ/नहीं) यदि हॉ तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्योरा दें क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।   | नहीं                                                              |
| (10)  | प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्योरा                                                                                                                                                               |                                                                   |
| (i)   | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वनक्षेत्र आस-पास के वन से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।                                                  | संलग्न है।                                                        |
| (ii)  | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वनक्षेत्र आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।                                                                                      | संलग्न है।                                                        |
| (iii) | रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।                                                                             | कंजी, सिरस, अर्जुन, नीम, चितवन, जामुन, महुआ, पीपल, आदि            |
| (iv)  | प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।                                                                                                                                             | संलग्न है।                                                        |
| (v)   | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र की उपर्युक्ता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण के सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय) | संलग्न है।                                                        |
| 11    | जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम-1 (xi, xii) 8 से 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये संलग्न करें।                                                            | संलग्न है।                                                        |
| 12    | विभाग/जिला प्रोफाइल                                                                                                                                                                            | मैनपुरी                                                           |
| (i)   | जिले का भौगोलिक क्षेत्र                                                                                                                                                                        | 275900 हे०                                                        |
| (ii)  | जिले का वन क्षेत्र                                                                                                                                                                             | 1419.54 हे०                                                       |
| (iii) | मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया वन क्षेत्र                                                                                                                           | (1) मामले- 37<br>(2) प्रयोग में लाया गया वन क्षेत्र = 82.98 हे०   |
| (iv)  | 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण                                                                                                                                         |                                                                   |
| (क)   | दण्ड के रूप में क्षतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि                                                                                                                                                   | 20.30 हे०                                                         |
| (ख)   | वनेत्तर भूमि पर                                                                                                                                                                                | -                                                                 |
| (v)   | प्रतिपूरक वनीकरण से हुई प्रगति                                                                                                                                                                 |                                                                   |
| (क)   | वनभूमि पर                                                                                                                                                                                      | 45.20 हे०                                                         |
| (ख)   | वनेत्तर भूमि पर                                                                                                                                                                                | 6.10 हे० (ग्राम समाज)                                             |
| 13    | प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश                                                                                            | जनहित को देखते हुये प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है |

दिनांक :-

स्थान :- मैनपुरी

19/01/17  
प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी  
(सिद्धार्थ कुमार अम्बेडकर)  
प्रभागीय निदेशक \*  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
मैनपुरी